मै0 त्रिलोक सिंह मनराल पुत्र स्व0 श्री नारायण सिंह मनराल, ग्राम–भन्याड़ी तहसील–गंगोलीहाट (गणाई गंगोली) जनपद–पिथौरागढ़, द्वारा सोप स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट के पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 16.08.2024 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 त्रिलोक सिंह मनराल पुत्र स्व0 श्री नारायण सिंह मनराल, ग्राम–भान्याड़ी तहसील–गंगोलीहाट (गणाई गंगोली) जनपद–पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड सोप स्टोन माईनिग प्रोजेक्ट (4.049 हेक्टेयर क्षेत्रफल) में खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 यथासंशोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के कम में राज्य बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला (उत्तराखण्ड़ संस्करण) तथा हिन्दुस्तान टाइम्स् (दिल्ली संस्करण) में दि0 12.07.2024 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुकम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से संबंधित परियोजना प्रस्ताव द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए रिपोर्ट व सारांश की प्रतिया जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ, जिलाधिकारी0 कार्यालय, जिला पंचायत अधिकारी, कार्यालय पिथौरागढ़, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र पिथौरागढ़, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी तथा प्रस्तावित लोक सुनवाई की तिथि 14.08.2024 नियत थी। प्रस्तावित लोक सुनवाई अपरिहार्य कारणो से स्थगित की गयी। अग्रेतर राज्य बोर्ड द्वारा पुनः जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला (उत्तराखण्ड़ संस्करण) तथा हिन्दुस्तान टाइम्स् (दिल्ली संस्करण) में दि0 10.08.2024 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। तद्कम में अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ की अध्यक्षता में 16.08.2024 को परियोजना स्थल पर ग्राम–भन्याड़ी, तहसील–गंगोलीहाट (गणाई गंगोली) जनपद–पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है। लोक सुनवाई में उपस्थित संलग्नानुसार है।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहा0वैज्ञा0अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में अधिसूचित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी, जनपद–पिथौरागढ़, तथा अन्य उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया तथा परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

तद्कम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था मैसर्स पी0 एण्ड़ एम सल्यूसन के श्री भरत सिह रावत द्वारा उपस्थित सभी लोगो का स्वागत करते हुये अवगत कराया कि प्रस्तावित परियोजना एक सोप स्टोन खनन परियोजना है, प्रस्तावित परियोजना का खनन क्षेत्र ग्राम–भन्याड़ी, तहसील–गंगोलीहाट (गणाई गंगोली) जनपद–पिथौरागढ़ तथा इसका खनन क्षेत्रफल 4.049 है0 है। परियोजना की लीज वैधता 50 वर्ष है, परियोजना पूर्व में वर्ष 2009 से संचालित है, जिसकी लीज वैधता 20 वर्ष हेतु थी, जिसे अग्रेतर 30 वर्ष हेतु बढ़ाया गया है। इसके संबंध में अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूछा गया कि परियोजना लीज वैधता 50 वर्ष अर्थात वर्ष–2009 से वर्ष 2059 तक है। तदकम में पर्यावरण सलाहकार द्वारा सहमति व्यक्त करते हुये अवगत कराया गया कि परियोजना पूर्व से संचालित है, परियोजना को DEIAA से ई0सी0(पर्यावरण स्वीकृति) प्राप्त थी। परन्तु मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशो के कम में SEIAA से ई0सी0(पर्यावरण स्वीकृति) प्राप्त किये जाने हेतु लोक सुनवाई की कार्यवाही की जा रही है। माईनिंग का कार्य ओपनकॉस्ट मैकेनाइज्ड़/सेमी–मैकेनाइज्ड़ पद्यति का उपयोग करके किया जायेगा। परियोजना में लगभग 16 व्यक्तियो की आवश्यकता होगी। परियोजना से निकटतम रेलवे स्टेशन, काठगोदाम रेलवे स्टेशन

से दूरी लगभग 65.39 किमी दक्षिण, दक्षिण–पश्चिम दिशा में है। निकटतम हवाई अड्डा, पंतनगर हवाई अड्डा से दूरी लगभग 91.42 किमी दक्षिण, दक्षिण–पश्चिम की ओर है। जिला मुख्यालय से दूरी लगभग 120 किमी उत्तर–पूर्व दिशा में है। परियोजना के वित्तीय एवं सामाजिक लाभ के संबंध में अवगत कराते हुये कहा गया कि खनन परियोजना से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगें, जिससे उनकी सामाजिक एंव आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परियोजना की लागत 41.906 लाख है तथा प्रस्तावित सी0ई0आर0 लागत 2.09 लाख व ई0एम0पी0 व्यय 6.80 लाख है। परियोजना के 05 वर्ष के माईनिंग प्लान के अनुसार उत्पादन के संबंध में अवगत कराया गया कि प्रथम वर्ष में 4227 मि0टन, द्वितीय वर्ष में 4544 मि0टन, तृतीय वर्ष 5165 मि0टन, चतुर्थ 5643 मि0टन वर्ष एवं पंचम वर्ष में 6135 मि0टन सोप स्टोन उत्पादन किया जायेगा। क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति के संबंध में जानकारी देते हुये कहा गया कि परियोजना क्षेत्र में मृदा का परीक्षण किया गया है। परिणामो के आधार पर मृदा किसी प्रदूषणकारी श्रोत से दूषित नही है, परियोजना क्षेत्र में विभिन्न 08 स्थलों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया गया है। परिणाम दर्शाते है कि कि परिवेशीय वायु गुणवत्ता में प्रदूषणकारी तत्वो की सांद्रता आवासीय क्षेत्र के लिये निर्धारित राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानको के भीतर हैं। तद्क्रम में बोर्ड प्रतिनिधि तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा पर्यावरण सलाहकार से अपेक्षा की गयी कि जनसमुदाय को निर्धारित मानकों के सम्बन्ध में अवगत कराये, जिस क्रम में पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि अध्ययन क्षेत्र के भू–जल नमूने की गुणवत्ता भारतीय मानक IS:10500 द्वारा निर्धारित सीमा के अनुरूप है तथा ध्वनि स्तर निर्धारित मानको के अन्तर्गत है। सामाजिक आर्थिक पहलुओ पर प्रकाश डालते हुये अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र में कोई बस्ती, भवन सार्वजनिक स्मारक स्थापित नही है, जिससे विस्थापन पुर्नवास की आवश्यकता नही होगी। क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। प्रस्तावित परियोजना स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करेगी और जब भी मानव शक्ति की आवश्यकता होगी, स्थानीय लोगों को वरीयता दी जायेगी। खड़िया खनन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव क्षेत्र के जीव जन्तुओं व पर्यावरण पर नहीं पड़ेगा। पर्यावरण समन के उपायो के संबंध में अवगत कराया गया कि श्रमिकों को पर्यावरण के संबंध में जागरुप कराने हेतु जनजागरुपता कार्यक्रम आयोजित कराये जायेगें। श्रमिकों की आवाजाही हेतु मार्ग आरक्षित वन क्षेत्र में नही रखा जायेगा। यदि जंगली जानवरों को कोर जोन पार करते हुये देखा जाता है, तो परेशान नही किया जायेगा। परिवहन हेतु कम प्रदूषण जनित करने वाले वाहनों का प्रयोग किया जायेगा। वृक्षो झाड़ियो का काटना निषेध होगा व आस–पास के क्षेत्र में दवा वितरण तथा मेडिकल कैंप का आयोजन अथवा सोलर लैम्प आदि का वितरण किया जायेगा तथा स्कूलो में स्मार्ट क्लास, रासायनिक प्रयोगशाला हेतु निर्धारित धन राशि के संबंध में अवगत कराया गया तथा निर्धारित मदों में रखी धन राशि का विवरण प्रस्तुत किया गया। तद्सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित मदों में धनराशि के संबंध में असंतोष व्यक्त करते हुये धन राशि बढाने की अपेक्षा की गयी तथा कहा गया कि कॉस्ट स्टीमेट समुचित, तार्किक एवं व्यवहारिक नहीं है, जिसे पर्याप्त किया जाय एवं पर्यावरण संरक्षण के लिये जो भी बजट है एवं कॉस्ट स्टीमेट में जो भी बजट प्रस्तावित किये गये हैं, वह मानक के अनुरुप व्यय करवाते हुए उसका सत्यापन कर ई0सी0 के प्राविधानों के अनुरुप आख्या जिलाधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत की जाय। परियोजना के लाभो के संबंध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र में सोप स्टोन के अतिरिक्त मैग्नेसाइट भी विधमान है। तथा यह की प्रस्तावित परियोजना सोप स्टोन खनन की है तथा सोप स्टोन माइनिंग के सम्बन्ध में लोकसुनवाई का आयोजन किया गया है। तद्क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा जानना चाहा कि विगत वर्ष में खनन के दौरान विस्फोटकों का प्रयोग किया गया है। परियोजना सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि

उक्त उक्त परियोजना हेतु सेमी मैकेनिज्म तरीके से खनन की अनुमति प्राप्त है, जिसके अनुसार सेमी मैकेनिज्म तरीके से खनन कार्य किया जाता है। स्थल पर किसी प्रकार का विस्फोट आदि नहीं किया जाता है। उक्त के क्रम में उपस्थिति जन समुदाय द्वारा टीका टिप्पणी, सुझाव व आपत्तिया प्रस्तुत की गयी जिसका विवरण निम्नवत् है।

1. श्री हयात सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह ग्राम–भन्याड़ी तहसील–गंगोलीहाट (गणाई गंगोली) जनपद–पिथौरागढ़। श्री हयात सिंह द्वारा बताया गया कि पूर्व से किये गये खनन कार्य से जनित ओवर बर्डन से उनका खेत बंजर हो गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा खेत के कुल रकवा के संबंध में जानना चाहा किन्तु श्री हयात सिंह द्वारा विभिन्न व्यक्तिगत समस्याओ तथा रास्तो के बन्द होने के संबंध में अवगत कराया गया। और कहा जिससे आवागमन का मार्ग भी प्रभावित हो जाते है, जिससे स्कूली बच्चों को समस्या का सामना करना पढता है और वृक्षो को भी ओवर बर्डन से क्षति पहुची है। आगे अवगत कराया गया कि अनुबंधित भूमि का अनुबंध ग्रामीणों को उपलब्ध नहीं कराया गया तथा अनुबंधित भूमि के किराया का भुगतान भी ससमय नहीं किया जाता है। और यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व में इकाई प्रतिनिधियों द्वारा उनके साथ अभद्रता कर कपडें इत्यादि भी फाड़े गये तथा पूर्व वर्ष से खनन क्षेत्र में रात में भी खनन कार्य होता है, जिससे स्थानीय लोगों को समस्या होती है।

2. श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री बच्ची सिंह ग्राम– भन्याड़ी, तहसील–गंगोलीहाट (गणाई गंगोली) जनपद–पिथौरागढ़। श्री प्रेम सिंह द्वारा कहा गया कि पूर्व में किये गये खनन कार्य से जनित ओवर बर्डन व भूधसाव से खेत खराब हुये है तथा खेतों का अनुबंध मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि जमीन मेंरे नाम से दर्ज है। खेतो के अनुबंध के संबंध में अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित राजस्व उपनिरिक्षक से जानना चाहा, राजस्व उपनिरिक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त संबंध में ग्रामीणों द्वारा उन्हें कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। अग्रेतर अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन भी ग्रामीणों की भूमि खनन क्षेत्र के अन्तर्गत है उन्हें अनुबंध की हार्ड कॉपी प्राप्त करायी जाये व न प्राप्त न कराने की दशा में प्रशासन से संपर्क करने को कहा गया।
3. श्री सुजान सिंह पुत्र श्री माधव सिंह ग्राम– भन्याड़ी तहसील–गंगोलीहाट (गणाई गंगोली) जनपद–पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड। श्री सुजान सिंह द्वारा अवगत कराया की मुझे भी खेतो का अनुबंध तथा भुगतान नहीं किया गया है। तथा खेत दो तीन बार टूट गया है। जिस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि एक परिवार के एक व्यक्ति को भुगतान किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री बोरा से अन्य टिप्पणी प्रस्तुत करने को कहा गया श्री बोरा द्वारा अवगत कराया गया कि पट्टाधारक द्वारा भुगतान ससमय नही किया जाता है।
4. श्री गणेश सिंह बोरा पुत्र श्री राम सिंह ग्राम– भन्याड़ी, तहसील–गंगोलीहाट (गणाई गंगोली) जनपद–पिथौरागढ़– श्री गणेश सिंह बोरा द्वारा अवगत कराया गया कि मुझे अनुबंधित भूमि के किराया तीस हजार रू0 की छः माही किश्तों में किया जाता है, जो की साल पूर्ण होने पर भी मुझे दस–दस हजार रू0 की दो किश्तों के रूप में कुल 20 हजार रू0 प्राप्त है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि श्री गणेश सिंह बोरा की भूमि खनन हेतु वर्ष–2019 में अनुबंधित की गयी थी। वर्ष 2020–21 कोविड महामारी के कारण श्री बोरा जी का भुगतान समय पर नहीं किया जा सका।

5. श्री देव सिंह पुत्र श्री गुसाई सिंह ग्राम– भन्याड़ी तहसील–गंगोलीहाट (गणाई गंगोली) जनपद–पिथौरागढ़। श्री देव सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि 2021 में खनन उपरी हिस्से में किया गया है। वहा मशीने हमारे खेत से ले जायी गयी तद्समय यह तय किया गया कि प्रतिवर्ष रु0 10000/– का भुगतान किया जायेगा। किन्तु भुगतान ससमय नही किया जाता है। तद्क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा पट्टाधारक से वादा खिलाफी के संबंध में जानना चाहा, जिस पर पट्टाधारक द्वारा अवगत कराया गया उक्त धन राशि खेत में दीवार निर्माण कें संबंध में थी। आयोजित जनसुनवाई को आगे बढाते हुये सहा0वैज्ञा0अधिकारी, द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से कहा गया कि, आयोजित जनसुनवाई का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यावरणीय मामलो के संबंध में है तथा क्षेत्र में परियोजना के संचालन से होने वाले पर्यावरणीय पहलुओ पर सुझाव व आपत्ति प्रस्तुत करने की उपस्थित जनसमुदाय से अपेक्षा की गयी।

6. श्री जगदीश सिंह बोरा ग्राम– भन्याड़ी, तहसील–गंगोलीहाट (गणाई गंगोली) जनपद–पिथौरागढ़। श्री बोरा द्वारा अवगत कराया गया कि, खनन काफी समय से क्षेत्र में किया जा रहा है तथा सरकार व खनन विभाग से धन राशि क्षेत्र के विकास हेतु प्राप्त नही हुयी है। ग्रामवासियों ग्राम में चैंक डैम एवं मंदिरों हेतु दिये गये प्रस्ताव दिये गये है। जिस संबंध में अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जानना चाहा कि धन राशि किस मद में व्यय होगा। तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि उक्त कार्यो हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा धन राशि जिला खनन न्यास को दी गयी है, जोकि प्रस्ताव के अनुसार व्यय होती है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि ग्राम में चैंक डैम एवं मंदिरों हेतु दिया गया प्रस्ताव जिला खनन अधिकारी के माध्यम से सिचाई विभाग को प्रेषित किया गया है, जिसमें सिचाई विभाग की ओर से सर्वे किये जाने हेतु पट्टाधारक तथा ग्रम प्रधान को सूचित किया गया है, इसके अतिरिक्त 12 लाख का एक अन्य सडक निर्माण सबंधी प्रस्ताव खनन विभाग को प्रेषित किया गया है।
7. श्री सुशील कुमार पुत्र श्री बच्चीराम ग्राम–ड़सीलाखेत तहसील–गंगोलीहाट (गणाई गंगोली) जनपद–पिथौरागढ़– श्री सुशील कुमार द्वारा कहा गया कि स्थानीय ग्रामीणों की समस्या को ध्यान में रखा जाये। गांव के रास्तो, नालों, चैंक डैम तथा मंदिरों हेतु जिला खनन न्यास के माध्यम से धन राशि ग्राम पंचायत को मिले, और खनन कार्य इस प्रकार किया जाये कि ग्रामीणों की भूमि में धसाव न हो। तद्क्रम में अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा कहा गया कि जिला खनन न्यास के माध्यम से सार्वजनिक कार्यो हेतु धन का व्यय होगा। निजी स्तर पर कार्य हेतु व्यय खनन न्यास द्वारा नहीं किया जायेगा। खनन से निकलने वाले मलवे की रोक थाम हेतु रिटेनिंग वॉल आदि का निर्माण का कार्य पट्टाधारक स्वंय सुनिश्चित करेंगा।
8. पट्टाक्षेत्र की ग्रामसभा डसीलाखेत में पट्टाक्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य से मलवा/पानी सड़क की ओर तथा डाउनहिल दिशा में ग्रामीणों की नाप भूमि/खेतों की ओर जा रहा है। जिसकी सुरक्षा हेतु स्थल पर चैकडैम की निर्माण किया जाना आवश्यक है, जिसे हेतु जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास निधि से धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्राविधान करना उचित होगा। इस क्रम में सुनवाई के दौरान उपस्थित ग्राम प्रधान डसीलाखेत द्वारा प्रस्ताव दिनांक 23.07.2024 भी प्रस्तुत किया गया है, जिसे प्रभारी खान अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा आंगणन बनवाये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, गंगोलीहाट को भेजा गया है, जिसे विकास खण्ड गंगोलीहाट अथवा लघु सिंचाई विभाग, पिथौरागढ से बनवाया जाना उचित होगा।

9. सुनवाई के दौरान ग्रामीणों द्वारा पट्टाक्षेत्र में बांज प्रजाति के बृक्षों को काटकर मलवा/गढ्ढों में दफन किये जाने का आरोप लगाया गया तथा मानसूनकाल में खनन संकियाऐं प्रतिबन्धित होने के उपरान्त भी खनन कार्य जारी रखे जाने एवं रात्रि में भी खनन कार्य किये जाने का आरोप लगाया गया।
10. सुनवाई के दौरान ग्रामीणों द्वारा कहा गया कि पट्टाधारक द्वारा उनकी नाप भूमि में बिना आपसी सहमति के खनन कार्य किया जा रहा है तथा प्रतिपूर्ति की धनराशि, जो तय की गई थी, नहीं दी जा रही है, जो भी धनराशि दी जा रही है, वह भी काफी विलम्ब से और कम दी जा रही है।
11. सुनवाई के दौरान ग्रामीणों द्वारा कहा गया कि इस क्षेत्र में 07–08 खनन पट्टे संचालित है, जिससे सरकार को राजस्व मिलता है। परन्तु इस क्षेत्र के विकास हेतु जिला खनन न्यास निधि से कोई धनराशि नहीं दी जा रही है।
12. श्री त्रिलोक सिंह मनराल पुत्र स्व0 श्री नारायण सिंह मनराल, परियोजना प्रस्तावक। श्री त्रिलोक सिंह मनराल द्वारा लोक सुनवाई उपस्थित सभी लोगो का स्वागत करते हुये कहा गया कि में पूर्व 10–15 वर्षो से खनन कार्य कर रहा हूँ। मेरे द्वारा सभी ग्रावासियों की समस्याओ का समाधान किया गया है, किन्तु पूर्व में कोविड महामारी के कारण कुछ ग्रामीणों की अनुबंधित भूमि के किराया देने में विलम्ब हुआ है। श्री मनराल द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि परियोजना क्षेत्र में 39 ग्रावासियों की भूमि अनुबंधित है। ग्राम वासियों को अनुबंध के अनुसार किये गये भुगतान की विवरण उपलब्ध है साथ ही खनन द्वारा ग्रावासियों को रोजगार भी प्राप्त हुये है। श्री मनराल द्वारा अवगत कराया गया श्री हयात सिंह की आपत्ति पर कहा गया कि श्री सिंह द्वारा अपनी भूमि को खनन हेतु दिये जाने से मना किया गया है। परियोजना प्रस्तावक श्री मनराल द्वारा यह भी कहा गया कि उनके द्वारा पट्टाक्षेत्र में मानसूनकाल में बृक्षारोंपण का कार्य करवाया गया है तथा सी0एस0आर0 के तहत ग्राम डसीलाखेत की प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केन्द्र में विद्यालयी बच्चों को स्कूल बैग, कापी–किताब–पेंसिल आदि वितरित किये गये हैं। उनके द्वारा उक्त कियाकलापों के फोटोग्राफ तथा ग्राम प्रधान डसीलाखेत एवं प्रधानाध्यापक द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया गया।
13. श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह ग्राम– भन्याड़ी तहसील–गंगोलीहाट (गणाई गंगोली) जनपद–पिथौरागढ़– श्री गुलाब सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि खनन कार्य से मुझे और मेरे परिवार को रोजगार मिला है। खनन क्षेत्र में कार्य करने से मेरे परिवार को 30–50 हजार प्रति माह आय मिलती है तथा प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है। तद्क्रम में जनसुनवाई में उपस्थित श्री हयात सिंह द्वारा क्षेत्र में धूल होने के संबंध में आपत्ति व्यक्त की गयी। अध्यक्ष महोदय द्वारा पीने के पानी आदि के संबंध में उपस्थित लोगो से जानकारी प्राप्त की गयी।

अन्य सुझाव/आपत्ति व टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त न होने पर उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद व्यक्त करते हुये लोक सुनवाई का समापन किया गया। उक्त जन सुनवाई की विडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।

(हरीश चन्द्र जोशी)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी
उ0प्र0नि0बोर्ड हल्द्वानी।

(डॉ0 एस0के0 बरनवाल)
अपर जिलाधिकारी
जनपद–पिथौरागढ।

श्री त्रिलोक सिंह मनराल पुत्र स्वर्गीय श्री नारायण सिंह मनराल ग्राम- मन्याली तहसील- गंगोलीहाट (गणाई गंगोली) एवं जिला- पिथौरागढ़ में प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना (क्षेत्रफल- 4.049 हेक्टेयर) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोकसुनवाई हेतु उपस्थिति विवरण :-

सुनवाई स्थल- ग्राम- मन्याली, तहसील- गंगोलीहाट
समय एवं तिथि - प्रातः 11 बजे दि० 16.08.2024

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
01.	श्री एस०के० बरनवाल	अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़	[illegible]
02.	श्री हरीश चन्द्र जोशी	सहा० वैज्ञा० अधिकारी (यू०के०पी०सी०बी०)	[illegible]
03.	भरत रावत	पर्यावरण सलाहकार	[illegible]
04.	शुभम गुसाई	अवर अभियंता (यू०के०पी०सी०बी०)	[illegible]
05.	जय[illegible] रावत	तहसीलदार - गणाई गंगोली	[illegible]
0.6	मदन मोहन जोशी	पटवारी- ग्वाड़ी, तहसील गणाई	[illegible]
07.	त्रिलोक सिंह मनराल	माईन पट्टा धारक	[illegible]
08.	गणेश सिंह	ग्राम - मन्याली	[illegible]
09.	शेर सिंह	" मन्याली	[illegible]
10.	देव सिंह	ग्राम " मन्याली	[illegible]
11.	हयात सिंह	ग्राम मन्याली	[illegible]
12.	ठाकुर सिंह	ग्राम मन्याली	ठाकुर सिंह
13.	प्रकाश सिंह	ग्राम मन्याली	प्रकाश सिंह
14.	गुलाब सिंह	ग्राम मन्याली	गुलाब सिंह
15.	प्रेम सिंह	मन्याली	प्रेम सिंह
16.	जगत सिंह	मन्याली	[illegible]
17.	सन्तोष लाल	गणाई	[illegible]
18.	गिरीश चन्द्र	गणाई	गिरीश चन्द्र
19.	[illegible]	गणाई	[illegible]
20.	[illegible] सिंह	गणाई	[illegible]
21.	ईश्वर सिंह	गणाई	[illegible]
22.	राकेश सिंह	मन्याली	राकेश
23.	महेश चन्द्र	मन्याली	[illegible]
24.	प्रकाश सिंह	मन्याली	[illegible] सिंह
25.	दिवान सिंह बोरा	मन्याली	दिवान सिंह

क्रम.	नाम	पता	हस्ताक्षर
26.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27.	राकेश सिंह बोरा	[illegible]	[illegible]
28.	सुशील कुमार	[illegible] (ग्राम प्रधान)	[illegible]
29.	नन्दी देवी	[illegible]	नन्दी देवी
30.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			

जन सुनवाई
खनन परियोजना – त्रिलोक सिंह मनराल
भन्याडी सोपस्टोन माइन (क्षेत्रफल – 4.049 हे0)
ग्राम व पो0 – भन्याडी, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़
सुनवाई स्थल – भन्याडी
समय व तिथि – प्रातः11 बजे, दिनांक – 16 अगस्त 2024
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजक
क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UKPCB
आवास विकास कालौनी – हल्द्वानी (नैनीताल)
परियोजना प्रस्तावक – श्री त्रिलोक सिंह मनराल
र्यावरण सलाहकार – पी0 एण्ड सोल्यूशन, सी–88, सेक्टर 65, नोएडा – उ0प्र0

जन सुनवाई
खनन परियोजना – त्रिलोक सिंह मनराल
भन्याडी सोपस्टोन माइन (क्षेत्रफल – 4.049 हे0)
ग्राम व पो0 – भन्याडी, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़
सुनवाई स्थल – भन्याडी
समय व तिथि – प्रातः11 बजे, दिनांक – 16 अगस्त 2024
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजक
क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
परियोजना प्रस्तावक – श्री त्रिलोक सिंह मनराल
पर्यावरण सलाहकार – पी0 एण्ड एम0 सी–88, सेक्टर 65, नोएडा – उ0प्र0

भन्याडी सोपस्टोन माइन (क्षेत्रफल – 4.049 हे0)
ग्राम व पो0 – भन्याडी, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़
सुनवाई स्थल – भन्याडी
समय व तिथि – प्रातः11 बजे, दिनांक – 16 अगस्त 2024
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजक
क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UKPCB
आवास विकास कालौनी – हल्द्वानी (नैनीताल)
परियोजना प्रस्तावक – त्रिलोक सिंह मनराल
पर्यावरण सलाहकार – पी0 एण्ड एम0 सी–88, सेक्टर 65, नोएडा – उ0प्र0

COVID-19